

बिहार सरकार,
वित्त विभाग ।

संकल्प

विषय:- राज्य के सरकारी सेवकों को स्वीकृत मकान किराया भत्ता की वर्तमान दर में संशोधन के संबंध में ।

केन्द्रीय षष्ठम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया था । उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्यक् अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया ।

2. वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा मकान किराया भत्ता की वर्तमान दरों को संशोधित कर निम्नवत् लागू करने का निर्णय लिया गया है:-

वर्ग	शहर का नाम	भत्ता का दर
बी-1	पटना (यू0ए0),	मूल वेतन का 20%
सी	अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय (यू0ए0), बेतिया, भागलपुर (यू0ए0), बिहार शरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डिहरी, गया (यू0ए), गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार (यू0ए0), किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी (यू0ए0), मुँगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णियां (यू0ए0), सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी (यू0ए0), सीवान, सुपौल ।	मूल वेतन का 10%
अवर्गीकृत शहर		मूल वेतन का 7.5%

3. ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत राज्य के सरकारी सेवकों को मूल वेतन का 5% की दर से मकान किराया भत्ता देय होगा ।

4. नई वेतन संरचना में मूल वेतन से आशय उस वेतन से होगा जो वेतन बैंड में निर्धारित वेतन एवं लागू ग्रेड वेतन के जोड़ से आहरित किया जायगा, किन्तु इसमें विशेष वेतन या किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं होगा ।

5. यह आदेश दिनांक 01/01/2010 के प्रभाव से लागू होगा ।

6. जहाँ तक उच्च न्यायालय/बिहार विधानसभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पदाधिकारियों को संशोधित मकान किराया भत्ता देने का प्रश्न है, इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधानसभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित सचिवालय/कार्यालय द्वारा आदेश निर्गत किया जाएगा ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(रबीन्द्र पवार)

सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक-3ए-2-वे0पु0(म0 कि0)-23/2009...../वि (2) पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(रबीन्द्र पवार)

सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक-3ए-2-वे0पु0(म0 कि0)-23/2009...../वि (2)पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि- राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(रबीन्द्र पवार)

सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक-3ए-2-वे0पु0(म0 कि0)-23/2009...../वि (2) पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि- अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा/अवर सचिव, (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) वित्त विभाग/वित्त विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं इससे उच्चतर पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

(रबीन्द्र पवार)

सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक-3ए-2-वे0पु0(म0 कि0)-23/2009...../वि (2) पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मकान किराया भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना /अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाय ।

ह0/-

(रबीन्द्र पवार)

सचिव (संसाधन) ।

ज्ञापांक-3ए-2-वे0पु0(म0 कि0)-23/2009...../वि (2) पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि राजपत्र की 500 मुद्रित प्रतियाँ वित्त विभाग, शाखा-3ए को उपलब्ध करायी जाय ।

(रबीन्द्र पवार)

सचिव (संसाधन) ।